अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

गोर्वधन साहु वगै0
बनाम
बलि साहुन वगै

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 12/2012–13

वाद का प्रकार :– रेभेन्यु रिविजन (Revenue Revisoin)

अपीलार्थी श्री गोर्वधन साहु व जयकिशोर साहु एवं अन्दु साहु सभी वल्द विशुन साहु तथा घांसी साहु वल्द लेदु साहु ग्राम–चौली थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–699 R 27/2010'–11 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित वहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारीज वाद सं0–699 R 27/2010'–11 एवं अंचल अधिकारी गुमला द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0–649/2010–11 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया गया है। इस वाद में अपीलार्थी नं0–1 गोर्वधन साहु की मृत्यु हो गई तदनुसार स्व0गोर्वधन साहु के उतराधिकारियो श्रीमती कौशल्या देवी (पत्नी) एवं प्रशांत कुमार को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रश्नगत भूमि जिसका खाता नं0–31 प्लॉट नं0–51,161,162,387,388, एवं 415 रकबा क्रमशः–0.02,1.14,0.13,0.52,0.55 एवं 0.49 एकड कुल रकबा–2.85 एकड मौजा–चौली थाना–गुमला में स्थित है। उपरोक्त भूमि सोहन तेली का था। सोहन तेली ने अपने जीवन काल में पहली पत्नी के पुत्र डेगरा साहु को कुल जमीन 2.85 एकड़ में से मात्र 1.42½ एकड जमीन दे दिया पुनः अपना शेष जमीन 1.42½ एकड दूसरी पत्नी गनसी देवी को दे दिया।यानि अपने कुल जमीन 2.85 को अपनी पहली पत्नी के पुत्र और अपनी दूसरी पत्नी के बीच बराबर बॉट दिया।

यह कि सोहन तेली की दूसरी पत्नी गनसी देवी (सहुआईन) अपने हिस्से की सम्पूर्ण जमीन को रजिस्ट्री पट्टा सं0–4896/70 दिनांक–13.04.1970 के द्वारा अपनी छोटी पुत्री घुनईर देवी (कुवर)को रजिस्ट्री गिफ्ट में दे दिया गया।

यह कि घुनईर देवी रजिस्ट्री बिक्री पट्टा सं0–3485 दिनांक–28.10.1975 के द्वारा अपनी माता से प्राप्त कुल जमीन 1.42½ एकड अपने सौतेला भाई ढेगरा साहु को दे दिया।

यह कि ढेगरा साहु अपनी हिस्से में अपने पिता द्वारा मिले 1.42½ एकड जमीन एवं रजिस्ट्री पट्टा सं0–3485 दिनांक–28.10.1975 द्वारा अपनी सौतेली बहन घुनईर देवी से खरीद कर कुल जमीन 2.85 एकड प्राप्त किया।

यह कि ढेगरा साहु ने अपने कुल जमीन में से 2.4½ एकड जमीन विशुन साहु पिता महरु साहु को बिक्री रजिस्ट्री पट्टा सं0–1054 दिनांक–19.05.1978 के द्वारा बेच दिया जिस पर उसी समय से विशुन साहु दखलकार हुए और दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहें है। विशुन साहु के मृत्योपरान्त अपीलार्थी सं0–1 श्रीमती कौशल्या देवी सं0–1 प्रशान्त कुमार एवं सं0–2 जय किशोर साहु सं0–3 अन्दु साहु दखलकार होकर शान्तिपूवर्क जोत चास करते आ रहे है।

Scanned with CamScanner

यह कि पुनः ढेगरा साहु ने अपने बचे हुए जमीन रकबा 0.80½ एकड जमीन को बिक्री रजिस्ट्री पट्टा सं0–1228/78 दिनांक–14.06.1978 के द्वारा घासी साहु पिता लेदू साहु को बेच दिया।

यह कि विशुन साहु एवं घासी साहु ने बली साहुआईन एवं लक्ष्मीन साहुआईन के उपरोक्त आवेदन पर अपना आपत्ति अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल किया गया और दोनो पक्षों को सुनकर अंचल अधिकारी गुमला ने बली देवी एवं लक्ष्मीन के उक्त आवेदन (दाखिल खारिज केश नं0–933/78) को अपने आदेश दिनांक–04.11.78 के द्वारा खारिज कर दिया और अंचल अधिकारी गुमला ने विशुन साहु एवं घासी साहु को निर्देश दिया कि आप अपने जमीनों के दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दे।

यह कि अंचल अधिकारी गुमला के उपरोक्त आदेश के आलोक में विशुन साहु एवं घासी साहु ने मौजा चौली थाना–गुमला के खाता नं0–31 की अपनी अपनी जमीनों के दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं0–28/78–79 एवं 29/78–79 दाखिल किया गया जिसमें अंचल अधिकारी गुमला ने अपने आदेश दिनांक–22.04.79 के द्वारा संयुक्त रुप से दाखिल खारिज वाद सं0–28/78–79 एवं 29/78–79 के विशुन साहु के पक्ष में स्वीकृत कर लिया और उनकी ओर से लगातार सरकार को मालगुजारी अदा किया जा रहा है और उक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील आज तक किसी के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल नही किया गया है।

यह कि अपीलार्थीगण एवं विपक्षियों के मध्य धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत वाद सं0–एम0 449/78 अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के समक्ष चला और दोनों पक्षों को सुनकर अनुमण्डल पदाधिकारी ने उपरोक्त वाद को अपीलार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षियों के खिलाफ आदेश पारित किया गया है।

यह कि बली सहुआईन लक्ष्मीन सहुआईन एवं घुनईर सहुआईन द्वारा एक पार्टीसन सुट नं0–7/79 सब जज गुमला के न्यायालय में अपने सैतेले भाई ढेगरा साहु एवं अन्य के खिलाफ दायर किये और पक्षों को सुनकर विद्वान सब जज गुमला ने उपरोक्त सुट को खारिज करते हुए स्पष्ट रुप से निम्नलिखित बात कही " it has been claimed by the defendants that the suit cannot proceed----------fully go to shoe that this Bishun sahu &Ghaghi sagu are valid transferring----------and decree of the said partition suit has been prepared"

यह कि विद्वान सब जज गुमला द्वारा 7/79 में जो आदेश पारित किया गया उस आदेश के खिलाफ टाईटिल सं0 30/84 दाखिल किया गया और अपर जुडिसियल कमिशनर रॉची
17/85
ने उक्त अपील को खारिज कर दिया गया जिसका डिक्री भी बना है, और टाईटिल अपील नं0 30/84 में माननीय अपर जुडिसियल कमीशनर रॉची के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विपक्षियों
17/85
ने आज तक कोई अपील रिवीजन किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल नही किया गया है।

यह कि पुनः षडयंत्र के तहत बली साहुआईन एवं अन्य के द्वारा मौजा चौली थाना गुमला के खता नं0–31 के दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल किया गया है और अंचल अधिकारी गुमला ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बली साहुआईन वैगरह के दाखिल खारिज केश नं0–2/आर 27/85–86 को दिनांक–31.05.86 को अपीलार्थी के पक्ष में खारीज कर दिया।

Scanned with CamScanner

यह कि बली सहुआईन एवं लक्ष्मीन सहुआईन द्वारा राजस्व अपील सं0–22/86–87 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में अंचल अधिकारी गुमला के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–2/R/27/85–86 मे पारित आदेश दिनांक–31.05.86 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

और दोनों पक्षों को सुनकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला ने बली सहुआईन एवं लक्ष्मीन सहुआईन के राजस्व अपील सं0–22/86–87 को वर्तमान अपीलार्थीयों के पक्ष में खारिज कर दिये और आज तक विपक्षियों के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई भी अपील/रिवीजन दाखिल नही किया गया है।

यह कि पुन: बली सहुआईन एवं लक्ष्मीन सहुआईन के द्वारा वाद सं0–एम0 836/86 अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के न्यायालय में धरा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत विशुन साहु एवं घांसी साहु के खिलाफ दाखिल किया गया और सभी पक्षों को सुनकर अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला ने उपरोक्त वाद को विशुन साहु एवं घांसी साहु के पक्ष में आदेश पारित करते हुए बली सहुआईन एवं लक्ष्मीन सहुआईन के खिलाफ नियम (रुल) को एबसोल्युट किया गया ।

यह कि बली सहुआईन एवं अन्य के द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण वाद सं0–44/89 दाखिल किया गया और सभी पक्षों को सुनकर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया और वाद से संबंधित जमीन का खाता विशुन साहु एवं घांसी साहु के नाम से बन गया। नया खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति संलग्न है। उक्त आदेश के खिलाफ कोई भी अपील/रिवीजन दाखिल नही किया गया है।

यह कि पुन: एक षडयंत्र के तहत बली सहुआईन लक्ष्मीण सहुआईन एवं घुनईर सहुआ ईन द्वारा वाद से संबंधित जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिनांक–28.08.10 में अंचल अधिकारी गुमला के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें सभी बातों पर विचारोपरान्त अंचल अधिकारी गुमला ने अभिलेख दाखिल खारिज वाद सं0–649/R /27/10–11 को आदेशार्थ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया।

यह कि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा दाखिल खारिज केश नं0–649/R /27/10–11 के पक्षकारों को बिना सुने और नामान्तरण वाद सं0–699/R /27/10–11 में बली सहुआईन लक्ष्मीण सहुआईन एवं घुनईर सहुआईन के पक्ष में फैसला दे दिये।

पुन: माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा 2008(2)J.C.R 597(jhr) में पारित आदेश में कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को यह अधिकार नही है कि वे दीर्घ काल से चले आ रहे जमाबंदी को समाप्त कर सके।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–चौली का खाता नं0–31 का खतियानी रैयत सोहन साहु की दो पत्नी थी। पहली पत्नी से ढेगरा साहु एवं दूसरी पत्नी से तीन पुत्री बाली सहुआईन लक्ष्मीन सहुआईन तथा घुनईर सहुआईन हुए। सोहन साहु ने खतियानी भूमि मौजा–बदला थाना सेन्हा जिला–लोहरदगा की कुल भूमि 2.98 एकड को पहली पत्नी के पुत्र ढेगरा साहु को एवं मौजा–चौली थाना–गुमला की कुल– 2.85 एकड भूमि को दूसरी पत्नी को हिस्सा में दिया था। सोहन साहु की दूसरी पत्नी गणसी कुंवर ने अपने हिस्से की मौजा–चौली का कुल–2.85 एकड भूमि को निबंधित केवाला सं0–4896 दिनांक–13.04.1970 के द्वारा श्रीमती घुनईर कुवर को निबंधित केवाला सं0–933 दिनांक–03.05. 1978 के द्वारा वाली सहुआईन व लक्ष्मीन सहुआईन को बक्सीसनामा रजिस्ट्री केवाला यह शर्त लगाते हुए कि मेरे मरने के बाद उक्त भूमि की विकी कर सकती है। जबकि उनकी मृत्यु दिनांक–08.08.1981 को हुई है। तत्पश्चात सभी अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहें। परन्तु ढेगरा साहु ने अपने हिस्से की जमीन को छोडकर वाली सहुआईन व लक्ष्मीन सहुआईन व घुनईर कुवर की भूमि मौजा–चौली की 2.4½ एकड को नाजायज तरीके से विशुन साहु पिता–महरु साहु मौजा–चौली को केवाला सं0–1054 दिनांक–19.05.1978 द्वारा एवं घासी साहु पिता–लेदु साहु मौजा–चौली को पट्टा सं0–1228 दिनांक–14.06.1978 के द्वारा कुल–0.80½ भूमि बेच दिया जिसमें गनसी कुवर व उनकी तीनों पुत्रियों की सहमति नही ली गई है। ढेगरा साहु पिता–स्व0 सोहन साहु के द्वारा ब्रिकी की जानकारी के बाद गनसी कुवर और उनके तीनों पुत्रियों के द्वारा सब जज गुमला में पार्टीशन सुट वाद सं0–07/1979 दायर किया गया था जिसमें गनसी कुवर वगै के हित में

Scanned with CamScanner

एकपक्षीयें फैसला दी गई। मौजा–बदला थाना–सेन्हा जिला–लोहरदगा की भूमि को हिस्सा के लिए टाईटल अपील जुडिसियल कमिशन रॉची से वाद सं0–30/84 दायर किया गया जिसमें ग्राम–बदला की भूमि को ¼ हिस्सा बाली सहुआईन व लक्ष्मीन साहुआईन व घुनईर को देने का फैसला दी गई। एवं उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश भी किया गया है। मौजा–चौली के बाली सहुआईन वगै0 की भूमि खाता नं0–31 प्लॉट नं0–387 रकबा–0.52 एकड के केता घासी साहु का बहु देवकी देवी पति लोकनाथ साहु मौजा–चौली थाना–गुमला द्वारा बाली साहुआईन के विरुद्ध पी0एस0 केश नं0–623/2001 दायर किया गया जिसमें बाली वगै0 के पक्ष में फैसला हुआ। ग्राम–चौली के बाली सहुआईन वगै0 की भूमि दूसरे केता विशुन साहु पिता–महरु साहु मौजा–चौली के द्वारा जी0आर0केश नं0–392/2001 बाली सहुआईन के पुत्र कैलु साहु के विरुद्ध क्रिमीनल केश दायर किया गया जिसमें बाली सहुआईन के पक्ष में फैसला दिया गया है। मौजा–चौली के खाता नं0–31 प्लॉट नं0–388 रकबा–0.40 एकड भूमि के केता घासी द्वारा बाली सहुआईन के पुत्र केलु साहु के विरुद्ध जी0आर0 केश नं0–720/2001 सेक्शन 379 आई0पी0सी0 का वाद दायर किया गया जिसमें भी केलु के पक्ष में फैसला हुआ । बाली सहुआईन के मकान सहन पर अवैद्य कब्जा करने के प्रयास पर बाली सहुआईन के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय में विशुन साहु पिता–महरु साहु मौजा–चौली थाना गुमला के विरुद्ध वाद सं0–135/86 दायर किया गया जिसमें भी बाली साहु के पक्ष में फैसला लिया गया।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. खाता–31 का खतियान की छाया प्रति।
2. घुनैर सहुआईन पति–अघनु साहु का बक्सीसनामा पट्टा दिनांक–13.04.1970 एवं परवाना एवं रसीद–2010–11 से 2020–21 की छाया प्रति
3. स्व0बाली सहुआईन पति–स्व0 सुखन साहु एवं लक्ष्मीन सहुआईन पति स्व0–भदर साहु ग्राम–चौली थाना+जिला–गुमला का बक्सीसनामा पट्टा दिनांक–03.05.1978 एवं परवाना एवं रसीद–2010–11 से 2020–21 की छायाप्रति।
4. सब– जज गुमला का पार्टीशन सुट का अर्जी एवं फैसला केस नं0–07/1979 की छाया प्रति।
5. टाईटील अपील जूडिशियल कमीशनर रॉची का वाद सं0–30/1984 का फैसला की छाया प्रति।
6. गुमला थाना केस सं0–623/2001 में सब–डिविजनल जुडिशियल मजिस्टेट गुमला का फैसला की छाया प्रति।
7. गुमला थाना केस सं0–720/2001 में सब–डिविजनल जुडिशियल मजिस्टेट गुमला का फैसला की छाया प्रति।
8. जी0आर0 केस नं0–392/2001 में एडिशनल जज गुमला का फैसला की छाया प्रति।
9. केस नं0–एम 3586/1986 में धारा–144 दं0प्र0सं0 अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,गुमला का फैसला की छायाप्रति।
10. मुख्यमंत्री जन संवाद का फैसला में पत्रांक सं0–764(ii) दिनांक–08.08.2016 का फैसला की छाया प्रति।
11. अंचल अधिकारी,गुमला एवं उप–समाहर्त्ता गुमला का आदेश की छाया प्रति।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये लिखित बहस एवं उत्तरवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में ही विभिन्न न्यायालयों के द्वारा विवादित भूमि पर उत्तरवादीगण के पक्ष में निर्णय दिया गया है जो कि विधिसम्मत जान पड़ता है।

अतः अपीलार्थीगण के आवेदन पर अलग से किसी बिन्दु पर विचार करना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में रंमैन्यू रिवीजन वाद को निरस्त किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SHISHIR KUMAR SINHA
Date: 2022.01.03 16:47:53 +05:30
Location: 192.168.1.33

Scanned with CamScanner